



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

*Published by Authority*

श्रावण 10, शनिवार, शाके 1942- अगस्त 1, 2020  
*Sravana 10, Saturday, Saka 1942- August 1, 2020*

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये  
(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**संसदीय कार्य विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, अगस्त 1, 2020**

**जी.एस.आर. 190** :- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) (तृतीय संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिशिष्ट ख का संशोधन.**- राजस्थान विधान सभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973 से संलग्न परिशिष्ट ख में, विद्यमान क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 7 से 10 तक और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"7.	I/24 गांधी नगर	1	गांधी नगर, जयपुर
8.	I/32 गांधी नगर	1	गांधी नगर, जयपुर
9.	बी-2 भगत सिंह मार्ग	1	भगत सिंह मार्ग, जयपुर
10.	13 सिविल लाइन्स	1	सिविल लाइन्स, जयपुर"

[सं.एफ.7(2)संसद/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार भारवानी,

प्रमुख शासन सचिव।

**PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, August 1, 2020**

**G.S.R. 190 :-** In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following

rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, namely:-

**1. Short title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) (Third Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of Appendix B.-** In Appendix B appended to the the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, after the existing serial number 6 and entries thereto, the following new serial number 7 to 10 and entries thereto shall be added, namely:-

"7.	I/24 Gandhi Nagar	1	Gandhi Nagar Jaipur
8.	I/32 Gandhi Nagar	1	Gandhi Nagar Jaipur
9.	B-2 Bhagat Singh Marg	1	Bhagat Singh Marg Jaipur
10.	13 Civil Lines	1	Civil Lines Jaipur"

[No. F7( 2 ) Sansad/2020]

**By Order of the Governor,**

Vinod Kumar Bharwani,

**Principal Secretary to the Government.**

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।